

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

75 / 2021  
20.12.2021

श्योजी पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला—टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार पीपलू दिनांक 10.11.2021 मिसल नम्बर 491 / 2021

उपरिथति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

## निर्णय

दिनांक 20.10.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 814/1 रकबा 2 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 130/रु. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पहले अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि थी, जिसको गलत रूप से सिवायचक किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने जावत कोई साक्ष्य-सबूत भी नहीं है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर



जिला कलेक्टर  
टोंक

से अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 814/1 रकबा 2 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 814/1 रकबा 2 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1199/2021 निर्णय दिनांक 18.02.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.10.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कब्जा हटा लिया है, पूर्व में भी मेरा अतिक्रमण नहीं था, मेरी किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की भावना नहीं रही है तथा मे भविष्य में भी उक्त भूमि या सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 10.11.2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र रथगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



च-२४  
(चिन्मयी-गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोंक  
टोंक